

MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, GWALIOR
(A Govt. Aided UGC Autonomous Institute Affiliated to RGPV, Bhopal)

Ref. No.: HR/2022/...137

Date: 25.01.2022


२७

आदेश

संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, भोपाल मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार महिलाओं के कार्यस्थल पर उत्पीड़न के दृष्टिगत अधिनियम-2013 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनिमय 2015 के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षित और युक्तियुक्त वातावरण उपलब्ध कराए जाने बाबत महाविद्यालयीन स्तर पर निम्नानुसार आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित की जाती है :-

1. पीठासीन अधिकारी – प्रो. अर्चना तिवारी, प्रोफेसर, सिविल इंजी. विभाग
2. संकाय प्रतिनिधि – 1 डॉ. लक्ष्मी श्रीवास्तव, असोसिएट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी. विभाग
2 डॉ. अंजुला गौर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एप्लाइड साइंस विभाग
3. गैर शैक्षणिक प्रतिनिधि – 1 डॉ. सपना कुमारी, स्टूडेंट काउंसलर
2 श्रीमती पल्लवी श्रीवास्तव, असिस्टेंट रजिस्ट्रार
4. अंतिम वर्ष के छात्र/छात्राये प्रतिनिधि – 1 सुश्री अक्षदा वाकणकर, बी.टेक. सी.एस.ई.
2 सुश्री प्रिया संगमनेरकर, बी.टेक. ई.टी.
3 श्री अभय अग्रवाल, बी.टेक. इलेक्ट्रीकल इंजी.
4 सुश्री ज्योति चौधरी, बी.टेक. आई.टी.
5 श्री राजन पाण्डे, बी.टेक. सिविल इंजी.
10. गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधि – श्रीमती अंजली गर्ग, सदस्य, इनर व्हील सोसायटी

अतः महिलाओं (कार्मिक अथवा विद्यार्थी) के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न विरुद्ध शिकायत दर्ज करने एवं शिकायत पर समयबद्ध तरीके से जांच करने हेतु उल्लेखित अधिनियम 2013 एवं 2015 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) शीघ्र तथा गोपनीयता से जांच कर प्रकरणों के निराकरण पर त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगी।


(डॉ. आर.के.पण्डित)
निदेशक

प्रतिलिपि :

1. समिति के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त सूचना पटल।
3. समस्त डीन/विभागाध्यक्ष/विभाग प्रमुख/छात्रावास अधीक्षक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. रजिस्ट्रार
5. वैब मैनेजर की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निदेशक कार्यालय।
7. एच आर शाखा